जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी– 749 दिनांकः– 13.6.14

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **104वीं बैठक दिनांकः 28.02.14 को प्रातः 10.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	9	104:1	श्री शंकर दयाल को चक करोल योजना में बढे हुऐ क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर आवंटन बाबत।	श्री शंकर दयाल निवासी वित्त विहार कॉलोनी को चक करोल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 143 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर का मौके पर 36.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ जाने के कारण उपायुक्त के प्रस्ताव अनुसार आवंटी को बढा हुआ क्षेत्रफल छोटी पट्टी के तहत आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
2.	10ए	104:2	बम्बाला पुलिया से हटाये गये गाडिया लौहारो के 43 परिवारो को पालडी मीणा वाम्बे आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु।	बम्बाला पुलिया से हटाये गये गाडिया लुहार के 43 परिवारों को पालडी मीणा वाम्बे आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। इन परिवारो को असर्वेक्षित पुनर्वास पर्चियॉ दिनांक 23.08.2013 को उपायुक्त द्वारा जारी किया जाना अंकित किया गया है। श्री प्रकाश पुत्र नाथू लुहार को जारी की गई पर्ची प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं है। उपायुक्त द्वारा बैठक में यह अवगत कराया गया कि पर्ची प्राप्त हो गई है। अतः उक्त सभी 43 परिवारों को योजना में उपलब्ध भूखण्डों में से प्रत्येक को 50 वर्गगज का एक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	13	104:3	जेविविएनएल को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु छापराडी में पूर्व आवंटित खसरा नम्बर 201 के स्थान पर खसरा नम्बर 117 में भूमि आवंटन बाबत।	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम छापराडी तहसील आमेर में 33/11 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम छापराडी के खसरा नम्बर 201 में से क्षेत्रफल 0.50 हैक्टेयर आवंटित की गई थी। विभाग द्वारा उक्त भूमि उपयुक्त नहीं बताने के कारण इसके स्थान पर ग्राम छापराडी के खसरा नम्बर 117 रकबा 7.98 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर भूमि का आवंटन नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	7	104:4	श्री अमर जैन मेडीकल रिलीफ सोसायटी को 101.80 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।	प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था पर राशि 59,27,020/–रू. लीज राशि के बकाया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था को नोटिस दिया जाकर 15 दिवस में बकाया लीज राशि जमा कराने हेतु लिखा जाए तथा राशि इस अवधि में जमा न कराये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
5.	7	104:4(1)	मेजर महेश कुमार शर्मा, कीर्ती चक्र धारक को राजस्थान नगर सुधार	राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत 220 वर्गमीटर का

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			(शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का प्रावधान है। उपायुक्त जोन–7 द्वारा 220 वर्गमीटर का भूखण्ड उपलब्ध न होना बताया है। 252 वर्गमीटर के नॉन कॉर्नर तीन भूखण्ड उपलब्ध होना बताया है। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि आवंटन हेतु उपयुक्त भूखण्ड चिहिन्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
6.	13	104:4(2)	मैसर्स राजस्केप रिसोर्टस प्रा. लि. के स्वामित्व की भूमि ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास तह. आमेर के ख.नं. 474 में से 0.056 है. व 477 में से 0.024 है. कुल 0.08 हैक्टेयर के स्थान पर जविप्रा स्वामित्व की खसरा नं. 473 व 479 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर विनिमय बाबत।	मैसर्स राजस्केप रिसोर्टस प्रा. लि. के स्वामित्व की भूमि ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास तह. आमेर के ख.नं. 474 में से 0.056 है. व 477 में से 0.024 है. कुल 0.08 हैक्टेयर के स्थान पर जविप्रा स्वामित्व की खसरा नं. 473 व 479 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर विनिमय चाहा है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 473 व 479 रकबा 0.08 हैक्टेयर को जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावें।
7.	9	104:4(3)	ईवनिंग प्लस समाचार पत्र को प्रिंटिंग प्रेस व कार्यालय हेतु संस्थानिक भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 3131.32 वर्गमीटर में से 3000 व.मी. निलय कुंज योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	ईवनिंग प्लस समाचार पत्र को प्रिंटिंग प्रेस व कार्यालय हेतु संस्थानिक भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 3131.32 वर्गमीटर निलय कुंज योजना में आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने बताया कि योजना के भूखण्ड संख्या 2 में से 1012 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर इस 1012 वर्गमीटर भूमि का शीघ्र नीलामी द्वारा निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।
8.	13	104:4(4)	ग्राम पोखरियावाला उर्फ आनन्दपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 551 रकबा 25.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चरागाह में से 0.50 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पोखरियावाला उर्फ आनन्दपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 551 रकबा 25. 04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चरागाह में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
9.	9	104:4(5)	भूखण्ड संख्या बी–72 रामनगरिया विस्तार क्षेत्रफल 162.00 विलोपित होने के कारण भूखण्ड संख्या बी–73 (कॉर्नर) विनिमय में दिये जाने बाबत प्रा0 प0 द्वारा श्रीमति सुचित्रा आहुजा पत्नी श्री सुधीर आहुजा।	श्रीमति सुचित्रा आहुजा के प्रकरण में अपील अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की अपील संख्या 72/2012 के निर्णय दिनांक 21.12.12 को मध्यनजर रखते हुये भूखण्ड संख्या बी–72 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर रामनगरिया विस्तार योजना के विलोपित हो जाने से आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड को सरेंडर किये जाने पर भूखण्ड संख्या बी–73 (कॉर्नर) क्रेता को अधिक क्षेत्रफल की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी राशि वसूल कर विनिमय करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।

पाकिस्तान से आये हिन्दु विस्थापितों के कई प्रकरण अभी लम्बित चले आ रहे हैं। विस्थापितों का प्रतिनिधि मण्डल आये दिन जविप्रा में अभ्यावेदन प्रस्तुत करते रहते है। अतः इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर सभी संबंधित को जारी की जावें एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें।

श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने के मामले में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में श्मशान हेतु अधिकतम 2500 वर्गमीटर अथवा 1 बीघा भूमि आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जावें तथा इस आशय के निर्देश सभी उपायुक्तों को पृथक से जारी किये जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, एवं नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए व 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्कैन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त एवं (एल.पी.सी)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी—द्वितीय)	सदस्य
5.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री रामावतार शर्मा, प्रतिनिधि (निदेशक वित्त)	सदस्य
7.	श्री गिरि राज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर0एम0एण्ड सी0)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन—7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री केसर लाल मीना, उपायुक्त जोन—9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री रामरतन शर्मा, उपायुक्त जोन—10ए	विशेष आमंत्रित
11.	श्री शक्ति सिंह, उपायुक्त जोन—13	विशेष आमंत्रित
12.	श्रीमती उषा जैन, सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित